अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार रोकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। हम सत्रावसान की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगले सत्र में अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : ठीक है, महोदय।

अपराह्न 5.55 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुनः एक मिश्रित अनुभव के साथ इस महान सभा के एक और सत्र का अवसान हो रहा है। इस सत्र के दौरान जो कार्य निष्पादित किया गया वह भी एक उपलब्धि है। सदन की कार्यवाही के दौरान जिस प्रकार कभी–कभी व्यवधान उत्पन्न हुआ या सदस्यों द्वारा सभा से बहिर्गमन किया गया वह अपने आप में एक क्षति भी है? परन्तु इससे भी चिंता जनक बात यह है कि माननीय अध्यक्ष के गरिमामय पद पर आक्षेप लगाये गये हैं।

महोदय, विगत सत्र के अंत में सभा की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से न चल पाने पर मैंने अपना दुःख प्रकट किया था। मुझे अत्यंत खेद है कि इस सत्र के दौरान भी विपक्ष द्वारा सदन में पर्याप्त समय के लिए उपस्थित न रहने के कारण हमें अपना कार्य पूरा करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुए। भारत की जनता ने हम में अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है और हमें यहाँ अपनी समस्याओं और हितों की रक्षा के लिए अपनी समस्याओं की पैरवी करने तथा उन्हें यहाँ रखने, सरकारी नीति का स्वरूप प्रदान करने तथा उस पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए भेजा है। महोदय, हम यहाँ जनता की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, सभा से बाहर रहने या जनता की भावनाओं को व्यक्त न करने के लिए नहीं आए हैं।

तथापि, मैं सभा की कार्यवाही संचालन में आपके धैर्य, सहनशीलता, आपकी निष्पक्षता और आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई देता हूँ। इस महान सभा के अध्यक्ष पद पर आप जैसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान नेता का पीठासीन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभा की कार्यवाहियों के दौरान उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों के बावजूद इस सत्र के दौरान हम इतने उपयोगी कार्य कर पाए इसका श्रेय आपकी योग्यता और आपकी मन–मस्तिष्क की विशेषताओं को जाता है।

महोदय, इस सत्र में कुल 26 विधेयक पुनःस्थापित किए गए और सभी 26 विधेयक जिसमें वित्त विधेयक भी शामिल था। पारित किए गए। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के मेरे साथियों और मुझे ग्यारह ऐसे अवसर मिले जब मैंने सभा में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। जनता की समस्याओं से जुड़े 10 मामलों के संदर्भ में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हमने नियम 193 में अंतर्गत सुनामी, चुनाव सुधार, विदेशी नीति, जनसांख्यिकीय सम्बंधी रूझान और नेपाल की गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय चिंता संबंधी मामलों पर चर्चा की।

महोदय, इस सत्र के दौरान सम्पन्न विधायी कार्य से सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक विकास की ओर देश आगे बढ़ा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को जनता ने एक ऐसी सरकार बनाने के लिए चुना था जो जनता का ख्याल रखे। एक ऐसी सरकार जो आम नागरिक या एक आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा हमारे राष्ट्रीयता के चरित्र को मजबूत करती हो। इस एक साल में हमने अलगाववाद देश को बांटने वाली बहुमतवाद की राजनीति की प्रवृत्ति को बदलने में सफलता प्राप्त की है। संप्रग सरकार ने राष्ट्र को एक समतल आधार प्रदान किया है तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग को अपनाया है। यह मार्ग धर्म निरपेक्षता और बहुमतवाद का है जिसमें इस देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा प्राप्त है। चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय, क्षेत्र या धर्म, भाषा या वंश का हो, राष्ट्र के विकास में उसका भी भविष्य समान रूप से सुरक्षित होगा।

महोदय, कल के अपने भाषण में मैंने विदेश नीति के संबंध में उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता सिर्फ सदन का ध्यान पुनः इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार किया है जिसमें हमारे विकास कार्यों की प्राथमिकता को बेहतर ढंग से तय किया जा सकेगा।

सांय 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस साल की हमारी प्राथमिकताएं बतायी हैं। हम एक अधिक समरूप और सफल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी प्राथमिकता नई सम्पति का निर्माण करना, नए रोजगार सृजित करना, नए निवेश को आकर्षित करना और नई जानकारियां उपलब्ध कराना। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सबका

ध्यान रखा जाए। और प्रतिस्पर्धायुक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। जनता से हमारा यही वादा है।

महोदय, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस विषय पर चर्चा के लिए और समय मिले जो आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि अगला सत्र एक सामान्य सत्र होगा ओर उसमें और अधिक कार्य संपन्न होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में हमारे विपक्ष के सदस्य संसद में लौट आयेंगे ताकि हम उन लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकें। जिनका हम यहां प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं संसद में अगले सत्र में भाग लेने के प्रति आशान्वित हूँ। जिसमें इस महान सभा के सभी सदस्य उपस्थित होंगे। ससंद से विपक्ष की अनुपस्थिति का मुझे बहुत खेद है। हमारी शासन प्रणाली में विपक्ष को सम्मानीय स्थान प्राप्त है और उसकी अनुपस्थिति हमारी शासन प्रक्रिया की दक्षता को घटाती है। जैसा कि मैंने बार–बार कहा है, महोदय, कोई भी मुद्दा जो इस सभा में किसी सदस्य से संबोधित हो उस पर चर्चा की जा सकती है और सदन में उस पर वाद–विवाद किया जा सकता है। वह दिन दुःख भरा दिन होगा जब जनता को संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करने में अपनी अपनी भूमिका अदा करें ताकि हमारे संस्थापक नेताओं द्वारा अभिकल्पित नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली आम लोगों के हित में प्रभावी तथा कारगर रूप से काम कर सके।

महोदय, अंत में मैं आपके मार्ग–निदेशन और नेतृत्व के प्रति अपना सच्चा सम्मान व्यक्त करता हूँ तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव और लोक सभा के कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता और कठिन श्रम के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चौदहवीं लोकसभा का चौथा सत्र जो केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से 25 फरवरी 2005 को शुरू हुआ था। अब समाप्त हो रहा है।

सत्र के दौरान 38 बैठकें हुई और 211 घंटे से अधिक समय तक चलीं। सभा की बैठक का 27 मार्च 2005 से 18 अप्रैल, 2008 तक अवकाश रहा। जिससे कि विभागीय स्थायी समितियों और केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों कै अनुदानों की मांगों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा उन्होंने सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सत्र के दौरान लोक सभा की स्थायी समितियों ने कुल 81 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए स्थायी समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में निदेश 73(क) के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए गए।

बजट सत्र के दौरान सभा में वित्तीय विधायी और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किए गए। तीन दिन तक चले, चले वाद – विवाद में 11 घंटे से अधिक समय तक वाद–विवाद चला। 10 मार्च, 2005 को सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

सभा ने बजट (रेल) तथा बजट (सामान्य) 2005–2006 पर सामान्य चर्चा की तथा वर्ष 2005–06 की लेखानुदान माँगों (रेलवे) तथा (सामान्य) और वर्ष 2004–2005 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे) तथा (सामान्य) व सम्बंधित विनियोग विधेयक भी पारित किए। सदन में वर्ष 2005–2006 के लिए गोवा और बिहार राज्यों के बजटों पर भी सामान्य चर्चा की तथा वर्ष 2005–2006 के लिए उनके लेखानुदानों तथा वर्ष 2004–2005 के लिए अनुपूरक मांगे। और सम्बंधित विनियोग विधेयकों को पारित किया।

कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को भी पारित किए जाने से पूर्व 14 घंटे तक चर्चा हुई। बजट (सामान्य) 2005–2006 के संबंध में सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर सभा में 27 अप्रैल, 2005 को मतदान हुआ। बाद में, 2 मई, 2005 को गहन चर्चा के बाद जो 10 घंटे तक चली थी तथा तीन दिन तक जारी रही, सदन ने वित्त विधेयक, 2005 पारित किया।

सत्र के दौरान सदन में कुल 26 सरकारी विधेयक पारित किए। विधेयकों में से एक, पेटेंट (संशोधन) विधेयक 2005, को विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सम्बंधी पहलू के अंतर्गत भारत की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पारित किया गया। इसी प्रकार, सभा द्वारा पारित व्यापक जनसंहारक हथियारों और उनकी विमोचन प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) विधेयक, 2005, व्यापक जनसंहार के हथियारों के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में देशकी प्रतिबद्धता के लिए विधायी कार्य का अभिन्न भाग उपलब्ध कराना है। सभा में पारित होने वाले अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं–केन्द्रीय जलकृषि प्राधिकार विधेयक, 2005, धन अपव्यय निषेध (संशोधन) विधेयक, 2005, और विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005 हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 सहित दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए जो देश की

अपराधिक कानून प्रणाली के सुधार की दिशा में एक अन्य कदम हैं। सभा द्वारा पारित सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 भी सूचना प्राप्त करने के इस नये युग में प्रवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो बाद में शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा।

सभा ने सर्वसम्मति से क्रमशः गोवा और बिहार राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 4 मार्च, 2005 और 7 मार्च, 2005 की उद्घोषणाओं के अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प को स्वीकृत किया।

नियम 193 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के 5 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 13 मामले उठाए गए जिसके बारे में सम्बंधित मंत्रियों ने वक्तव्य भी दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा कुल 58 वक्तव्य दिए गए। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो कुल 42 गैर–सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। दो विधेयक विचारार्थ लाए गए जिसमें से एक गंभीर चर्चा के बाद अस्वीकृत कर दिया गया और दूसरे विधेयक पर चर्चा अभी पूरी नहीं हो पाई है।

दो गैर–सरकारी संकल्पों पर भी सभा में विचार हुआ। एक को अस्वीकृत कर दिया गया और दूसरे पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है।

सत्र के दौरान 700 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष 584 तारांकित तथा 7,337 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गऐ थे।

नियम 377 के अधीन 356 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त शून्य काल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 348 मामले उठाए गए।

जैसा कि आप अवगत हैं इस सत्र के दूसरे भाग के दौरान, मुख्य विपक्षी दल तथा इसके सहयोगी दलों ने 27 अप्रैल 2005 से सभा का बहिष्कार आरम्भ कर दिया था। मैंने विपक्षी दल के सदस्य गणों से सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अनेक बार आग्रह किया और मैंने उन्हें अनेक बार आश्वस्त किया कि यदि उन्हें नियमों के अंतर्गत किसी चर्चा में बोलने की अनुमति की आवश्यकता है तो मैं उन्हें अनुमति देने के लिए तैयार हूँ, परन्तु उन्होंने फिर भी बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है, जो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रतिपक्ष ने वित्त विधेयक की चर्चा में सृचनात्मक रूप से भाग लिया।

दिनांक 5 मई 2005 को विपक्ष के एक भाग अर्थात तेलगू देशम पार्टी ने बहिष्कार समाप्त करने का निर्णय लिया मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैंने एक बार पुनः सभी मित्रों से आग्रह किया कि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि लोक सभा किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही प्रक्रिया के नियमों तथा सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार चलें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ तथा मैं बड़ी विनम्रता से इन परम्पराओं को कायम रखने का प्रयास करूंगा।

पिछले कुछ दिनों से मैंने सभा में अनुपस्थिति की प्रवृति को नोट किया है। जिसके कारण अनेकों बार सभा की कार्यवाही निर्धारित समय पर आरम्भ नहीं हो सकी अथवा गणपूर्ति न होने के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मैं दलों के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को समझे तथा हर समय सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करें।

मैंने साप्ताहिक आधार पर सभा की कार्यवाही का ब्यौरा सदस्यों को सूचित करने की परम्परा आरम्भ की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभा में किए गए वास्तविक कार्यों तथा जबरन स्थगन कराने और व्यवधान के कारण व्यर्थ हुए समय के बारे में सदस्यों को सूचित करना है।

मैं 27 अप्रैल 2005 से प्रतिदिन सुबह सभी दलों तथा समूहों के नेताओं की बैठक भी बुला रहा हूँ जिसमें उनके द्वारा सभा में उठाए जाने वाले अविलम्बनीय विषयों पर चर्चा की जाती है।

दिनांक 20 अप्रैल 2005 को सभी नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तथाकथित शून्य काल के अन्तर्गत उठाए जाने वाले विषयों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त बैठक में बनी सहमति के अनुसार प्रश्न काल के पश्चात अविलम्बनीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों को उठाने की अनुमति दी जा रही है।

नियम 377 के अन्तर्गत प्रतिदिन उठाए जाने वाले मामलों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गयी है।

इस वर्ष देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरम्भ की गयी दांडी यात्रा की प्लेटिनम जयंती मना रहा है। सभा में इसका उल्लेख किया गया था। मैं यह कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां नए रूप में सामने आयी हैं और उन चुनौतियों का सामना करना हमारा दायित्व है क्योंकि हम जन प्रतिनिधि हैं।

अध्यक्षपीठ द्वारा बांडुंग सम्मेलन था द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति और फासीवाद पर विजय की 60 वर्षगांठ के उत्सव का भी उल्लेख किया गया था।

मैंने जल पर संसदीय मंच के गठन की घोषणा भी की है जिसके सुचारू कार्यकरण के लिए मैं सभा के सभी पक्षों से सहयोग चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में मेरे सहयोगियों का, सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। मैं विशेष रूप से सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सचेतकों का उनके सहयोग के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री और उनके सहयोगियों का मुझे दिए गए सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और सहयोगी ऐजेंसियों का सभा की कार्यवाही में उनके बहुमूल्य सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सभा की कार्यवाही की प्रभावी कवरेज के लिए संचार माध्यमों को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सायं 6.10 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्र गान गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।